Shri A. P. Jain: How can I do the accounting, when we do not know what the cost of development is?

< 143

Mr. Speaker: He must have known the acquisition rates . . .

Shri A. P. Jain: No, I do not know.

Mr. Speaker: The hon. Member wants to know the rate at which the land had been acquisitioned during those days.

Shri Mehr Chand Khanna: This might have been acquisitioned or this might have been nazul land ages ago. It is part of old Delhi or New Delhi. We developed it ten or twelve years ago, may be, at a cost of As. 10 to Rs. 12 per square yard; I have no idea of that whatsoever.

Shri A. P. Jain: We would like to have a half-an-hour discussion on this. This is a very vague answer. Neither the acquisition value nor the total cost of development has been given.

Mr. Speaker: I can decide only if he sends me a notice.

Shri A. P. Jain: I shall send a regular notice seeking a half-an-hour disoussion.

Shri Mehr Chand Khanna: Let me complete my answer with your permission. This land was developed a long time ago. The land values have gone very high, not only in Delhi but in other parts of the country too, and the lands have been sold at a fairly big price. This is the statement that I am making before the House.

Shri A. P. Jain: The hon. Minister has not at all answered my question.

## श्रीषधियों का विज्ञापन

+ (श्री कछवाय : श्री यु० सि० चौघरी : \*४२७, < श्री बड़े : (श्री बेरवा कोटा :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की फ्रुपा करेंगे कि :

- (क) भारत सरकार ने किन-किन रोगों तथा उनकी श्रीषिथियों के विज्ञापनों पर प्रति-बन्ध लगा रखे हैं;
  - (ख) यह प्रतिबन्ध किस ग्राधार पर लगाये गये हैं: ग्रीर
  - (ग) १६६१-६२ में इस नियम का उल्लंघन करने वाले कितने व्यक्तियों ग्रथना फर्मों को दण्ड दिया है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० व० स० राजू): (क) और (ख). एक विवरण, जिसमैं ग्र क्षित सूचाी गई है, सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया, वेखिये संख्या एल० टी-१०१२।६३।]

(ग) भेषज एवं ऐन्द्रगालिक उपचार (स्रापत्तिजनक विज्ञापन) स्रविनियम के पबन्धों का उल्लंघन करने पर १६६१-६२ म १४ व्यक्तियों स्रथवा फर्मों को ोषी पाया गया।, न सभी मामलों में जुनिन किये गये भीर कोई कैंद की सजा नहीं दी गई।

An Hon, Member: We are not able to follow the Hindi answer.

Mr. Speaker: What can I do? If he does not read out the answer in Hindi there are objections.

Shri Surendranath Dwivedy: It can very well be read out by the hon. Minister of Health.

Dr. Ram Subhag Singh: He is reading very nicely. Now, the Deputy Minister may read out the answer in English.

Mr. Speaker: How can a new Minister get used to reading in Hindi, if we do not allow him to do so?

Shri Surendranath Dwivedy: Is the House to be a school for that purpose?

Shri Raghunath Singh: My hon, friend can understand Hindi very well.

5 145

श्री कछवाय: श्रघ्यक्ष महोदय, समझ में नहीं श्राता कि मंत्री महोदय क्या कहरहे हैं।

म्राध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं उन को कहं कि वह ग्रपनी मातु-भाषा में जवाब पढ़ें ? उन्होंने हिन्दी में जवाब पढ़ दिया है ग्रीर ग्रब ग्रंग्रेजी म पढेंगे। जब वह हिन्दी में पढते ो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि उन को समझ में नहीं श्राया श्रीर जब वह अंग्रेजी में पढ़ते ह, तो श्राप कहते है कि समझ में नहीं आया। तब तो मैं उनको कहंगा कि वह ग्रपनी मात-भाषा में पढ़ें, जो किसी को भी समझ में न श्राए। यहां पर दी हो जबानें हो सकती हैं --हिन्दी या ग्रंग्रेजी ।

Dr. D. S. Raju: (a) and (b). A statement giving the information is laid on the Table of the House. [Placed in Library, See No. LT-1012/

(c) Fourteen persons or firms were convicted for violating the provisions of the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advert'sements) Act during 1961-62. In all cases, fines were imposed and no imprisonment awarded.

श्री कछत्राय: श्रीमात, मैं यह जानना चाहता हं कि इस सम्बन्ध में कितने लोगों को पकड़ा गया है ग्रीर कितने लोगों को सजा हई ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): चौदह लोगों को सजा हुई ग्रीर उन सब को फ़ाइन हमा । उन सबको जेल खाने नहीं भेजाणया ।

श्री कछवाय : क्या मैं जान सकता हं कि उन में ग्रधिकांश किस प्रान्त के लोग थे और क्या इस म किसी विदेशी का भी हाथ था ?

डा० सुशीला नायर: मेरे पास ्स बारे में कोई प्रान्तवार ब्यौरा नहीं है, लेकिन इस में कोई विदेशी का सम्बन्ध नहीं स्राता है ।

श्री बेराव कोटा : मैं यह जानना चाहता हं कि क्या इस म सरकारी श्रधिकारियों या डाक्टरों का भी हाथ था।

डा॰ सुशीला नायर : जी नहीं।

श्री यशपाल सिंह: क्या सरकार को मालम है कि आज भी दिल्ली के मकानों और दीवारों पर अञ्जील विज्ञापन लगे हए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

डा० सुशीला नायर: माननीय सदस्य भी एक नागरिक के तोर पर इस बारे म ऐक्शन ले सकते हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने एक्शन लिया है।

डा॰ सुशीला नायर: मैं समझती कि केन्द्रीय सरकार एक-एक सड़क पर देख कर, तलाश कर के, उस पर एकान ले सकती है। राज्य सरवारें ग्रपने-ग्रपने राज्यों में ऐक्शन लेती हैं। पिछले साल म राज्य सरकारों ने जितते एकतन लिए हैं, वे मैं ने ग्रापके सामने निवेदन कर दिए हैं। उस के उपरान्त ग्रगर किसी ग्रौर जगह ऐक्शन लेना चाहिये था श्रौर वह नहीं लिया गया.इस बारे में ग्रगर माननीय सदस्य कोई विशेष जानकारी देंगे, तो मैं जरूर राज्य सरकार को कहंगी।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली ो केपिटल है। यहां पर राज्य सरकार नहीं है ।

ग्रध्यक्ष महोदय: दिल्ती की सरकार सदस्य उसके नोटिस में है। माननीय लायेंगे, तो वह जरूर ऐक द हेर्गः।

5147

डा॰ सुज्ञीला नायर : श्रीमन्, दिल्ली म चीफ कमिश्नर साहब एक्शन लेते हैं, भारत सरकार नहीं।

**प्रध्यक्ष महोदय :** यहां पर चीफ़ किमश्तर की जिम्मेदारी नहीं है । यहां की जिम्मेदारी सेंट्रल गवनंमेंट की है ।

Shri A. T. Sarma: May I know whether these rules are applicable to ayurvedic drugs also?

डा० सुशीला नायर : चार पांच किस्म्म की दवायें हैं, जिन के बारे में यह कानून ज्यादा लागू होता है । श्रगर जादू के किस्म की दवाग्रों के बारे में कोई भी एडवरटाइजमेंट करता है, तो उस को सजा ी जाती है । कुछ समय पहले हमददं दवा खाने पर भी एक केस चला था ।

Mr. Speaker: Next question
Shri A. T. Sharma: rose—

Mr. Speaker: Order ,order. Next question.

राज्यों में पीने का पानी + श्री बाल कृष्ण सिंह : ५२८. श्री विश्वनाथ राय : श्री पें० वेंकटासुर्ख्वया :

का स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

- (क) क्या कुछ राज्यों में "शुद्ध पय जल उपलब्ध करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; ग्रीर
- (ख) यदि हां, ो उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इस बोजना को कियान्दित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा॰ सुशीला नायर) : (क) जी हां । राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सफाई योजना १९५४ में बनाई गई थी स्रौर द्वितीय एवं तृतीय ंच वर्षीय योजनास्रों में भी यह चलती स्रा रही है।

(ख) यह कार्यक्रम किसी खास क्षेत्र तक ही मीभित नहीं है । ये योजनायें राज्य के विभिन्न स्थानों में क्रियान्वित की जा रही हैं । राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के जिन स्थानों के लिए अब तक जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, उन की एक सूची सभा-पटल पर रख ी गई है । [पुस्तकालय म रखा गया, वेखिये संख्या एल० टी०१०१३।६३ ।]

श्री बाल कृष्ण सिंह: श्रीमन् मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन स्थानों में यह योजना लागू की जा रही हैं उन स्थानों के चुनाव के लिए किन-किन बातों को ध्यान में रखा गया है ?

डा॰ मुशीला नायर : राज्य सरकारें किन बातों को ध्यान में रख कर चुनाव करती हैं, यह मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकती । ग्रावश्यकता वगैरह को देख कर वे ऐसा करती होंगी । जो स्कीम्ज हमारे पास राज्य सरकारों की ग्रोर से ग्राती हैं, उन को टेक्निकल दृष्टि से देख कर उन के लिए यहां से सहायता दी जाती है ।

श्री बाल कृष्ण सिंह: स्टेटमेंट के पेज ४, ब्राइटम १४ पर लिखा है, "विलेजेज नियर इरिगेशन ट्यूबवेल्ज"। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह एक जेनरल पालिसी है कि जो गांव इरिगेशन ट्यूबवेल्ज के निकट हों, उन में यह स्कीम लागू की जाये कुछ खास स्थान इस सम्बन्ध में चुने गए हैं।

डा॰ सुज्ञीला नायर: जिन जगहों पर इरिगोज्ञन ट्यूबवेल का पानी मीठा श्रीर श्रच्छा होता है, उस को ले कर पीने के पानी का प्रबन्ध किया जा सकता है भीर कुछ, पर किया भी गया है।